-200- -225-

ELECTION MATTER

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,
एस०सी०ओ० नं० 16-17, सैक्टर 20-डी,
चण्डीगढ।

क्रमांकः रा०नि०आ०/3 लेखा/2002/8769-87, दिनांक 11.12.2002

सेवा में

सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत एवं नगरपालिका)
हरियाणा राज्य ।

विषय:- राज्य निर्वाचन आयोग की प्राप्तियां नये अलाट किए गए प्राप्ति शीर्ष में जमा करवाने बारे ।

उपरोक्त विषय पर आयोग के पत्र क्रमांक: क्रमांक: रा०नि०आ०/3 लेखा/2002/2741-2757, दिनांक 28.05.2002 के निरन्तर ।

इस संबंध में लिखा जाता है कि आयोग के ध्यान में आया है कि विभिन्न जिलों द्वारा पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के चुनावों से सम्बन्धित राशि आयोग को सरकार द्वारा अलाट किए गए नये प्राप्ति शीर्ष में जमा नही करवाई जा रही है तथा नये अलाट किए गए शीर्ष को चालान फार्म में भरे जाने की जानकारी नहीं है । उपरोक्त वर्णित कारणों से स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय को निम्न प्रकार से आयोग के नये प्राप्ति शीर्ष को चालान फार्म में भर कर राशि जमा कराई जाए :-

1. पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों आदि के चुनावों में Election forms and documents जैसाकि अभ्यार्थियों के लिए मार्ग निर्देश पुस्तिका, खर्चे का रजिस्टार, मतदाता अभिकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका, मतदाता सूचियों की ब्रिकी से प्राप्त राशि को आयोग के निम्न प्राप्ति शीर्ष में जमा कराई जाए :-

Major Head	: 0070-OtherAdministrative Services-
Sub Major Head	: 02-Election-
Minor Head	: 101-Sale proceed-Election forms and documents
Sub Head	: (94)-Sale proceed of Election forms and documents of state Election Commission

Contd. -2-

2. पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों आदि के चुनाव में प्राप्त फीस, जुर्माना एवं जब्त जमानत की राशि को आयोग के निम्न प्राप्ति शीर्ष में जमा कराई जाए :-

Major Head	: 0070-OtherAdministrative Services-
Sub Major Head	: 02-Election-
Minor Head	: 104-Fees, Fines and forefeiture
Sub Head	: (94)-Fees, Fines and forefeiture of State Election Commission

3. पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों आदि के चुनावों में क्रमांक 1 व 2 में वर्णित के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय को आयोग के निम्न प्राप्ति शीर्ष में जमा कराई जाए :-

Major Head	: 0070-OtherAdministrative Services-
Sub Major Head	: 02-Election-
Minor Head	: 800-other Receipts
Sub Head	: (98)-other receipts of State Election Commission

4. अत: आपसे पुन: अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ सभी कार्यालयों को तत्काल निर्देश देवें कि भविष्य में राज्य निर्वाचन आयोग की सभी प्राप्तियां उपरोक्त अलाट किए गए प्राप्ति शीर्ष में ही जमा कराई जाए।

5. इसके अतिरिक्त सम्बन्धित कर्मचारियों को यह भी निर्देश देवें कि आयोग की सभी प्राप्तियां तुरन्त उपरोक्त सम्बन्धित प्राप्ति शीर्ष में जमा करवाकर प्रत्येक मास के अन्त में STR रजिस्टर में इन्द्राज करके सम्बन्धित खजाना अधिकारी से उक्त रजिस्टर में राशि सत्यापित कराई जाए ।(नमूना संलग्न)

6. यदि किसी भी स्तर पर प्राप्ति शीर्ष में राशि जमा कराने पर देरी होती है, तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि महालेखाकार, हरियाणा में आडिट रिर्पोट में राशि देर से जमा कराने बारे आडिट पैरे बनाए गए है ।

7. कृपया इसकी पावती भिजवाने का कष्ट करें।

मुख्य लेखा अधिकारी,
कृते: राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़

पृष्ठांकन कमांक:- रा०नि०आ०/3-लेखा/2002/8788-825, दिनांक 11.12.2002

इसकी एक प्रति निम्न को(दस-दस अतिरिक्त प्रतियों सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजते हुये लिखा जाता है कि इसकी सूचना अपने जिलों के सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भिजवायी जानी सुनिश्चित करें तथा उनसे पत्र की पावती भी प्राप्त करें । और इस पत्र की पावती इस कार्यालय को तुरन्त भेजें । इसके अतिरिक्त सभी सम्बन्धित कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को निर्देश देवें कि पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों आदि के चुनावों में प्राप्त आय को आयोग के प्राप्ति शीर्ष में जमा कराने के लिए दिए गए निर्देशों की दृढता से पालना की जाए ।

1. सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा।
2. सभी नगराधीश, हरियाणा।

मुख्य लेखा अधिकारी,
कृते:राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

पृष्ठांकन कमांक:- रा०नि०आ०/3-लेखा/2002/8826-44, दिनांक 11.12.2002

इसकी एक प्रति सभी खजाना अधिकारी, हरियाणा को भेजते हुए लिखा जाता है कि अपने अपने जिले के उप खजाना अधिकारियों को भी उक्त की प्रति भेजी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों आदि के चुनावों में प्राप्त आय आयोग के उपरोक्त पैरा 1,. 2 एंव 3 में वार्णित प्राप्ति शीर्ष में ही जमा हो ।

मुख्य लेखा अधिकारी,
कृते:राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा
चण्डीगढ़ ।

ibm2/receipt head

-203-

S.T.R. REGISTER

REGARDING DEPOSIT OF AMOUNT INTO RECEIPT HEAD OF STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA, i.e.

0070-OTHER ADMINISTRATIVE SERVICES-02-ELECTION

FOR THE MONTH OF

Sr. No.	Name of Major Head, Sub.Major Head , Minor Head/ Sub. Head	Challan No & Date	Amount	Particulars	Remarks

Signature of DDO

Verified by T.O/
A.T.O. Concerned